

भारत सरकार /GOVT. OF INDIA
केन्द्रीय जल आयोग /CENTRAL WATER COMMISSION
योजना एवम् अन्वेषण मंडल /Planning and Investigation Division
फ़रीदाबाद/Faridabad

No. 102/06/NIQ/2018-19/287-90

दिनांक: 06 फरवरी 2019

कोटेशन आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियंता योजना एवं अन्वेषण मण्डल द्वारा, संलग्न विवरण के अनुसार, मण्डल कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद के अंतर्गत **Brochure and hand bills** प्रिंट करने हेतु, सील्ड लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक प्रतिष्ठित फ़र्म, अपनी कोटेशन, संलग्न निर्धारित प्रपत्र में, बंद लिफाफे में, दिनांक 12.02.2019 को अपराह्न 14:30 बजे तक जमा करा सकते हैं। कोटेशन उसी दिन अपराह्न 15:00 बजे इच्छुक कोटेशन दाताओं या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी।

कार्य की सूची एवं विशिष्टियाँ (**Specifications**) : संलग्न विवरण के अनुसार।

नियम एवं शर्तें:

1. प्रिंटिंग 75-85 **GSM** पेपर पर होनी चाहिए ।
2. कोटेशन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में फ़र्म के लेटर पैड पर होनी चाहिए।
3. कोटेशन आमंत्रण सूचना नंबर एवं खोलने की तारीख लिफाफे के ऊपर लिखी होनी चाहिए।
4. दरों को शब्दों एवं संख्या दोनों में लिखा होना चाहिए।
5. दर के साथ कर तथा अन्य प्रभार आदि यदि कोई हो तो इसका विवरण अलग से दिया जाना चाहिए।
6. सभी कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग्स पर प्रतिष्ठान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए।
7. कोटेशन में दर्शायी गयी दरें 90 दिन तक लागू होगी इस मुद्दे पर किसी कोटेशनदाता की चुप्पी उसकी सहमति मानी जाएगी।
8. सभी कार्य विशिष्टियाँ (**Specifications**) के अनुसार कार्य आदेश जारी होने के 05 दिनों के अंदर पूरा करना अनिवार्य होगा।
9. कार्य पूरा होने पर इस कार्यालय में पूर्व प्राप्ति बिल (प्री-रिसिप्टेड बिल) दो प्रतियों में भेजना होगा। बिल में धनराशि अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखा होना चाहिए। तत्पश्चात भुगतान **PFMS** के माध्यम से किया जाएगा।
10. शर्तों के साथ भेजे गए कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

11. कार्य आदेश की मात्रा घटाने या बढ़ाने का अधिकार अधिशासी अभियंता योजना एवं अन्वेषण मण्डल के पास सुरक्षित है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता योजना एवं अन्वेषण मण्डल का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
12. अधिशासी अभियंता योजना एवं अन्वेषण मण्डल के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी कोटेशन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण कोटेशन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
13. निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाला कोटेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14. फ़र्म GST पंजीकृत होनी चाहिए एवं GST संख्या कोटेशन में दर्शायी होनी चाहिए।
15. कोटेशन फ़ार्म-1 एवं 2 को पूर्णतया: भरकर ही जमा करना होगा, संशयात्मक स्थिति एवं अधूरी सूचना की स्थिति में कोटेशन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
16. विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट <https://www.cwc.gov.in> देखे।

This issues with the approval of the Competent Authority.

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


अधिशासी अभियंता 06/02/2019

प्रतिलिपि:

1. मुख्य अभियंता, यमुना बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
2. अधीक्षण अभियंता, योजना परिमंडल, केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद ।
3. लेखा शाखा, योजना एवं अन्वेषण मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद ।
4. सूचना पट्ट मण्डल एवं परिमंडल कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद ।

फॉर्म संख्या:-1

कार्य का नाम: "योजना एवं अन्वेषण मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फ़रीदाबाद के अंतर्गत **Brochure and hand bills** प्रिंट करने का कार्य"।

1.	Name of Company/ Firm / Agency (Attach certificate of registration):	
2.	Name of proprietor / Director of Company / Firm / agency:	
3.	Full Address of Reg. Office :	
4.	Telephone No.	
5.	FAX No.	
6.	E-Mail Address :	
7.	Full address of Operating/ Branch Office :	
	Telephone No.	
	FAX No.	
	E-Mail Address :	
8.	PAN No. (Attach attested copy)	
9.	GST Registration No. (Attach attested copy)	
10.	Give details of the major similar contracts handled by the tendering Company / Firm /Agency during the last five years (attach copy)	
11.	Additional information, if any (Attach separate sheet, if required)	

स्थान:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

दिनांक:

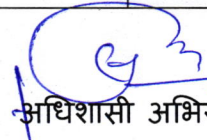
अधिकृत व्यक्ति का नाम:

एजेंसी/ फ़र्म की सील:

मात्र की अनुसूची

कार्य का नाम: "योजना एवं अन्वेषण मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, फरीदाबाद के अंतर्गत **Brochure and hand bills** प्रिंट करने का कार्य ।

क्र.सं.	विवरण	मात्रा (Nos.)	चार्जस (Per Unit) (in Rs.)	Amount		टिप्पणी
				अंकों में	शब्दों में	
1.	Printing of CWC Brochure (4 folds) (size 30x21 cm) (sample attached in Annexure 1 page 1-3)	2000				
2.	Jal Sanrakshan Front and Back (size 28x22 cm) (sample attached in Annexure 1 page 4-5)	2000				
3.	Save Water Front and Back (size 21x30 cm) (sample attached in Annexure 1 page 6-7)	2000				
4.	GST (as applicable)					
5.	Grand Total					


अधिसासी अभियंता 06/07/2019.

योजना एवं अन्वेषण मण्डल,
केन्द्रीय जल आयोग, फरीदाबाद